नमाज़ की अहमियत

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमाते थे कि अगर किसी के दरवाज़े पर नहर बह रही हो और वह रोज़ाना इस नहर में स्नान करे तो बताओ क्या उसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रह सकता है? सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने कहाः नहीं हर्गिज़ नहीं आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही हाल पांचों वक़्त के नमाज़ों का है कि अल्लाह तआला इन नमाज़ों के ज़रिये गुनाहों को मिटा देता है। (सहीह बुखारी)

हर नमाज़ के लिए वजू बनाना ज़रूरी है और इस हदीस से नमाज़ की अहमियत का पता चलता है। हर नमाज़ी नमाज़ के वक़्त वजू बनाता है तो इससे उसको पुण्य तो मिलता ही है इसके साथ-साथ वज़ू से उसके हाथ पावं चेहरे के मैल और धूल गर्द साफ भी हो जाते हैं और अनुभव बताता है कि वजू बनाने के बाद नमाज़ी को एक तरह से चुस्ती और फुर्ती का भी एहसास होता है, शरीर में ताजगी पैदा हो जाती है।

नमाज़ को उसके निर्धारित समय पर पढ़ने की भी बड़ी फज़ीलत आई है। अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नजदीक कौन से कर्म प्रिय हैं? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने निर्धारित समय पर नमाज़ पढ़ना, फिर पूछा तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना। (सहीह बुखारी, हदीस का आंशिक भाग)

नमाज़ की अदायगी के बारे में जो गफलत पाई जाती है वह अत्यंत अफसोस और दुखद है। आज की भाग दौड़ की जिन्दगी में मुसलमान नमाज़ जैसी कीमती इबादत के पुण्य से वंचित है, मस्जिदें खाली नज़र आ रही हैं, जबकि जान बूझ कर नमाज़ छोड़ने पर कड़ी चेतावनी दी गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस की अस्र की नमाज़ छूट गयी मानो उसका घर और माल सब लुट गया।

एक दूसरी हदीस में है बुरैदा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का बयान है उन्होंने एक बदली वाले दिन फरमाया कि अस्र की नमाज़ जल्दी पढ़ लो क्योंकि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अस्र की नमाज़ छोड़ दी उसका नेक अमल बर्बाद हो गया। (सहीह बुखारी)

इसी तरह से अन्य वक़्त की नमाज़ों की फज़ीलत बयान की गई है और छोड़ने वालों को सख्त सज़ा की चेतावनी दी गई है। कुरआन में सब्र और नमाज़ के ज़रिये मदद मगाने की तलकीन की गई है जिस तरह हम अपनी दुनिया संवारने और बनाने के लिये वक़्त निकाल लेते हैं उसी तरह अपनी आखिरत को सफल बनाने के लिए भी नमाज़ जैसी बहुमूल्य इबादत को अदा करने के लिए हर हाल में वक़्त निकालना चाहिए और इस फर्ज़ की अदायगी में किसी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए, स्वयं भी नमाज़ पढ़ें और अपने घर वालों को भी नमाज़ का पाबन्द बनायें। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी लोगों को नमाज़ पढ़ने की क्षमता दे।

मासिक

इसलाहे समाज

अगस्त 2024 वर्ष 35 अंक 8

सफ़र 1446

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, **A-145** गली न० **8** चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-**53** से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल **4116**, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-**6** से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	नमाज़ की अहमियत	02
2.	मुसलमानों में वक़्फ़ करने का जज़्बा	04
3.	ज़ुबान की हिफ़ाज़त	06
4.	मदीना की फज़ीलत	09
5.	पानी पीने और खाने से संबन्धित ...	11
6.	घरों में प्रवेश से सम्बन्धित शिष्टाचार	16
7.	सफ़र का महीना मनहूस नहीं होता	19
8.	आतंकवाद की निंदा (प्रेस रिलीज़)	20
9.	प्रेस रिलीज़ (चांद दर्शन)	21
10.	प्रतियोगिता सम्पन्न (प्रेस रिलीज़)	22
11.	पड़ोसी के बारे में इस्लाम के निर्देश	23
12.	जानवरों के साथ नर्मी का बर्ताव	24
13.	अपील	27
14.	अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन)	28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

सम्पादकीय

मुसलमानों में वक़्फ़ करने का जज़्बा

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

दुनिया के हर समाज, धर्म और देश समुदाय में कल्याणकारी और धार्मिक काम करने का चलन रहा है। इस्लाम जो मानवता का सबसे बड़ा शुभचिंतक, हमदर्द है वह भला इन कल्याणकारी और इन्सान की भलाई के कामों में कैसे पीछे रह सकता है इसके अंतिम पैगम्बर अच्छे आचरण के पैकर थे ही, गरीबों, यतीमों, और फकरीरों के सहारा, अनाथों, बेवाओं मजबूरों के केन्द्र थे। मुसाफिरों, राह चलते लोगों, मजलूमों की मदद और उनकी फरियाद सुनने के लिये भेजे गये थे और हर देश समाज में कमजोर वर्गों और व्यक्तियों के कुछ ठोस और स्थिर आमदनी और सहयोग का संसाधन छोड़ और सिखा गये थे। आप को इन तमाम नेक कामों की तरफ प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी चीज़ एकेश्वारवाद का अक़ीदा और ईश्दौत्य थी। सब गवाही देते थे कि आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं और मेहमानों का हक़ अदा करते हैं और हर हालत में मजलूम के अधिकारों का ख्याल करते हैं।

इन सबके बावजूद आप इन सब भलाई और कल्याणकारी कामों के लिये स्थायी आमदनी का संसाधन वक़्फ की शक्ल में देते दिलाते थे यही वजह है कि कोई ऐसा सहाबी (रज़ियल्लाहो अन्हो) न था जो कुछ न कुछअपनी तरफ से वक़्फ न करता हो अर्थात रकम, जमीन, बागात और मकान वगैरह अल्लाह की राह में इस निय्यत से दे देना कि इसकी असल बाक़ी रहे और जिन लोगों के लिये वक़्फ किया गया है वह हमेशा इससे फायदा उठाते रहें। इस्लाम ने इस बारे में बड़ी प्रेरणा दी है। कुरआन ने तो यहां तक कह दिया कि सबसे प्रिय माल अल्लाह की राह में निछावर करो तब तुम्हारी नेकी कुबूल होगी। (सूरे आले इमरान-९२)

इस आयत के सुनने के बाद हज़रत तलहा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने अपना प्रिय माल बैरहा अल्लाह की राह में वक़्फ कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मदीना आते ही दो यतीमों से जगह खरीद कर मस्जिदे नबवी और मदर्सा सुफ्फा स्थापित कर दिया। यह रहती दुनिया तक आप के सहाबा किराम रज़ियल्लाहो तआला अन्हो के लिये सदक-ए- जारिया है। जबकि आप बख्शे बख्शाए और मासूम हैं। हज़रत अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हुम के औक़ाफ किस को मालूम नहीं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहो अन्हो तो इस मामले में सबसे आगे आगे थे। मुसलमानों के लिये जमीन तंग पड़ी तो इसको विस्तार करने का काम स्वयं कर दिया।

पानी की ज़रूरत पड़ी तो सबके

लिये साधारण कर दिया। जो यहूदी पानी पीने से रोक देता था उससे खरीद कर उसके लिये और सबके लिये हर समुदाय के लिये वक़्फ़ कर दिया। सवारियों का प्रबन्ध किया ताकि इससे सभी लाभ उठायें जबकि यह सब जन्नत की खुश्खबरी सुनने वाले सबसे प्रथम लोग हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहो के कथन के अनुसार सहाबा में कोई ऐसा न था जिसे वह जानते हों और उसने वक़्फ़ न किया हो इसी लिये मुसलमानों ने इन्सानों मुसलमानों यहां तक कि जानवरों, चौपायों, खेतों खलियानों सबके लिये औकाफ छोड़ा यहां तक कि कैदियों और बदहाली की जिन्दगी गुजारने वालों के लिये वक़्फ़ करके खाने का प्रबन्ध किया। पुल बनवाये, कुवें खुदवाए, रास्ते बनवाए, सराय बनवाये, पेड़ लगवाये और यात्रियों के सरों पर छांव फैला दिया, इसका फल खिलाये, गलले उपजाये भुखमरी और अकाल को मिटाया, सिंचाई, प्याऊ के लिये हज़ार जतन किये, रिश्तेदारों, अपनों गैरों के लिये हज़ारों जायदादें और घर वक्फ (समर्पित) कर दिये। इससे इस्लामी इतिहास का हर पन्ना अपना एक अलग उज्जवल अध्याय रखता है। इसे लाभान्वित करने में कोई भेदभाव नहीं हुआ। हद तो यह है कि मुसलमानों ने ज़िन्दों की जरूरतों को पूरा करने के लिये सारे जतन किये और इस पर अपने परलोक की सफलता का भवन निमार्ण कर मुकम्मल कर लिया मगर वह यह भी न भूले कि इन्सान जब बेजान हो जाता है, मर जाता है, तब भी ज़रूरतमन्द होता है अतः उसके कफन दफन अर्थात दुनिया की जिन्दगी से भी लम्बी बरज़खी ज़िन्दगी के लिये भी मकान बनाता है और कब्रस्तान के लिये जमीन वक्फ़ करता है। आज मुस्लिम मुल्कों विशेष रूप से सऊदी अरब में जा कर देखिये कि हुकूमत ने हर चीज़ की गारन्टी ले रखी है दौलत की रेल पेल है। क़दम कदम पर अवाम के लिये सरकारी सुविधा है। सहीह अर्थों में देखा जाये तो सऊदी समाज में कोई ज़रूरत मन्द नहीं। नर्सरी स्कूल से लेकर उच्च्य शिक्षा तक उच्च्य प्रबन्ध सरकारों ने कर रखे हैं। मस्जिदों की देखभाल, सफाई और टोंटी झाड़ू की खरीदारी से लेकर हरम के इमाम की ज़रूरतों को पूरा करने का काम हुकूमत का है और सरकार भलीभांत इसको पूरा करती है। सरकार की तरफ से कैदियों के लिये उचित रूप से रहने सहने खाने पीने का बेहतरीन प्रबन्ध ा है। खेल के मैदान, ईद की नमाज़ के लिये मुसल्ला, किचन, स्नानग्रह, स्पताल, सराय, लंगरखाने, बैतुलमाल व विभिन्न प्रकार के राशन और सहायता देने वाली संस्थाऐं हैं, लावारिस बच्चों का वजूद नहीं है। इसी तरह अवाम को आध्यात्मिक खाद्य देने के लिये प्रचारक हैं, मदर्सों, मस्जिदों, तालाब, अनाथालय सबका बेहतरीन प्रबन्ध सरकार के कर्मी करते हैं। यह सब इस्लाम और उसके अनुयाइयों के वह कारनामे हैं जो उनके मानवतावादी होने के द्योतक और प्रतीक हैं और इस्लाम की शिक्षाएं उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा देती हैं।

❑❑❑

जुबान की हिफ़ाज़त

अबू हमदान अशरफ फैजी

जुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिस का सहीह इस्तेमाल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करके दुनिया और आख़िरत दोनों में अपमान के पात्र हो सकते हैं। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने फ़रमायाः आदमी की अत्यंत बाबर्कत और अत्यंत बेबर्कत चीज उसकी जुबान है'' (सहीह इब्ने हिब्बान) हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि हम जो भी बात करते हैं बल्कि हमारी जुबान से जो भी शब्द निकलता है उसे फरिश्ता लिख लेता है अगर वह बात अच्छी है तो हमें आख़िरत में अच्छा बदला मिलेगा और अगर वह बात बुरी है तो हमारी पकड़ होगी इसलिये बहुत सोच समझ कर जुबान खोलें। प्रसिद्ध कथन है कि पहले तौलो फिर बोलो। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

''इन्सान मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल पाता मगर उसके पास निगेहबान तैयार है'' (इंफितार १०-१२)

इसी लिये कुरआन व हदीस में जुबान की हिफाज़त और उसके सहीह इस्तेमाल पर काफी जोर दिया गया है और जुबान की आफतों और बुराइयों से डराया गया है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

'' जिस बात की तुझे खबर ही न हो उसके पीछे मत पड़ क्योंकि कान और आंख और दिल इन में से हर एक से पूछ ताछ की जाने वाली है।'' (सूरे इसराः३६)

अल्लाह ने कुरआन में दूसरी जगह फरमायाः

''ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला से डरो और सीधी सीधी (सच्ची) बातें किया करो ताकि अल्लाह तआला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह मआफ कर दे और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा उसने बड़ी कामयाबी पा ली'' (सूरे अहज़ाब-७०-७१)

इसी तरह कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''और मेरे बन्दों से कह दीजिये कि वह बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है, बेशक शैतान इन्सान का खुला दुश्मन है। (सूरे इसराः५३)

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने फरमायाः

''जो शख्स अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामूश रहे और जो कोई अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी का सम्मान करे और जो कोई अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता हो वह अपने मेहमान की इज़्ज़त करे।''

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान फरमाते हैं कि नबी

सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया बन्दा अल्लाह की खुशी के लिये एक बात जुबान से निकालता है उसे वह कोई अहमियत नहीं देता मगर उसी की वजह से अल्लाह उसके दर्जे बुलन्द कर देता है और एक दूसरा बन्दा एक ऐसा वाक्य जुबान से निकालता है जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब होता है उसे वह कोई अहमियत नहीं देता लेकिन इस की वजह से वह जहन्नम में चला जाता है।'' (सहीह बुखारी ६४७८)

जुबान का मामला इतना संगीन है कि हम जुबान से जो भी बात करते हैं कल क्यामत के दिन हमारी जुबान हमारे बारे में गवाही देगी, भलाई की बातों में हमारे हक़ में गवाही देगी और बुरी बातों पर हमारे ख़िलाफ गवाही देगी। हम किसी भी तरह जुबान का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकते। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः उस दिन कि उनके मुकाबले में उनकी जुबानों और उनके हाथ पांव उनके आमाल की गवाही देंगे। (सूरे नूरः२४)

जो शख्स दुनिया में अपनी जुबान की हिफाज़त नहीं करता और अपनी जुबान से दूसरों पर बोहतान लगाता है आखिरत में उसकी नेकियां मजलूम के बीच बांट दी जायेंगे।

> कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः
> '' जिस बात की तुझे खबर ही न हो उसके पीछे मत पड़ क्योंकि कान और आंख और दिल इन में से हर एक से पूछ ताछ की जाने वाली है।'' (सूरे इसराः३६)

एक रिवायत में है हज़रत जबल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने फरमायाः क्या मैं तुम्हें उन बातों का जिस चीज़ पर आधार है वह न बता दूं? मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल ज़रूर बता दीजिए फिर आप ने अपनी जुबान पकड़ी और फरमाया इसे काबू में रखो, मैंने कहा ऐ अल्लाह के पैगम्बर! क्या हम जो कुछ बोलते हैं इस पर पकड़े जायेंगे? आप ने फरमायाः तुम्हारी मां तुम पर रोये ऐ मआज़! लोग अपनी जुबानों की गड़बड़ की वजह से तो औंधे मुंह या नथुनों के बल जहन्नम में डाले जायेंगे'' (सुनन तिर्मिज़ी, २६१६, हदीस का आंशिक भाग)

दूसरी हदीस में है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! फुलां औरत ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़, रोज़ा और सदक़ा करती है लेकिन वह अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को सताती है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने फरमायाः वह जहन्नमी है फिर उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! फुलां औरत नमाज़ रोज़ा और सदक़ा कम से कम करती है वह पनीर के चन्द टुकड़े सदका कर लेती है लेकिन अपनी जुबान से अपने पड़ोसियों को नहीं सताती। आपने फरमाया वह जन्नती है। (मुसनद अहमद ९६७५, यह हदीस हसन है)

ज़ैद बिन अस्लम अपने बाप से बयान करते हैं कि अबू बक्र सिददीक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो

को देखा कि वह अपनी जुबान खींच रहे हैं उमर रज़ियल्लाहो अन्हो ने पूछाः ऐ रसूल के खलीफ़ा यह क्या कह रहे हैं उन्होंने कहा यह मुझे हलाक करने वाले स्थानों की तरफ ले जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमायाः शरीर का हर भाग अल्लाह तआला से जुबान की तेजी की शिकायत करता है। (इसी लिये मैं खींच रहा हूं ताकि तेजी बाकी न रहे और मेरे काबू में रहे) तबरानी, बैहकी, अस सिलसिलातुस्सहीहा २/५३५,७१)

मुसलमान किसी को अपनी जुबान से तकलीफ न दे तो यह उसके उत्तम होने की पहचान है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहो तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मुकम्मल मुसमलान वह है जिस का जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहें।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः इन्सान जब सबुह करता है तो उसके सभी अंग जुबान के साथ अपनी विनम्रता का इज़हार करते हैं और कहते हैं तू हमारे बारे में अल्लाह से डर इसलिये कि हम तेरे साथ हैं अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जायेंगे। (सुनन तिर्मिज़ी २४०७)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''जो शख्स मुझे दोनों जबड़ों के दर्मियान की चीज़ जुबान और दोनों टांगों के बीच की चीज़ (गुप्तांग) की हिफाज़त की जमानत दे दे तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। (सहीह बुखारी)

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

मदीना की फ़ज़ीलत

प्रोफेसर डा० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

जब यमन में सबा नामक जाति इरम नामक बाढ़ के कारण इधर-उधर भागने लगी तो दो अरबी क़बीले जिनका नाम औस तथा ख़ज़रज था, हिजरत करते हुए मदीना पहुंच गए और यहीं आबाद हो गए। फिर कुछ यहूदी अन्तिम नबी, की खोज में जिसका वर्णन तौरात में है, फ़िलस्तीन से निकले। जब वे तैमा शहर पहुंचे तो यह विचार करके कि यही नबी का शरण-स्थान है, वहीं आबाद हो गए। कुछ लोग और आगे बढ़े और ख़ैबर शहर में बस गए और समझा कि वह नबी यहीं आएगा।

कुछ इतिहासकारों का विचार है कि मदीना में पहले यहूदी आबाद हुए थे। फिर औस और ख़ज़रज आबाद हुए। परन्तु सही वही है जो ऊपर बताया गया है।

अर्थात तैमा से लेकर मदीना तक यहूदी आबाद हो गए। व्यापार उनके हाथों में चला गया। खजूरों के उत्तम बाग़ों पर उनका अधिकार हो गया और अरबवासी उनके अधीन हो गए। अरबों ने इन्हीं यहूदियों से सुना था कि अन्तिम नबी हिजरत करके यहीं आएंगे।

परन्तु जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों ने, यह जानते हुए भी कि यही वे नबी हैं जिनके विषय में मूसा अलैहिस्सलाम ने शुभ-सूचना दी थी, यह कहकर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के नबी होने का इनकार कर दिया कि यह नबी तो बनी-इसमाईल से हैं, जबकि हम बनी-इसराईल से हैं, जिनको अल्लाह ने सारे जगत में श्रेष्ठ बनाया हे, तो भला हम एक ऐसे नबी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो बनी-इसराईल से न हो। कुरआन में इसी की ओर संकेत किया गया है।

''जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे उसी प्रकार पहचानते हैं, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और उनमें से कुछ सत्य को जान-बूझकर छिपा रहे हैं।'' (सूरा-२, अल बक़रा, आयत-१४६, सूरा-६, अल-अनआम, आयत-२०)

मदीना के दो अरब क़बीले औस और खजरज मुसलमान हो गए, और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तथा हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की सहायता करने के कारण उनको अनसार की उपाधि मिली।

मदीना की श्रेष्ठता

मदीना की श्रेष्ठता के विषय में एक सहीह हदीस में आया है-

मदीना लोहार की भट्टी की तरह है, जो गन्दी चीज़ को निकाल देती है, और अच्छी चीज़ को बाक़ी रखती है।'' (बुख़ारी, ७२११ तथा मुस्लिम, १३८३)

मदीना में मरने की महत्ता

हदीस में है

''जो मदीना में मर सकता है, मरने का यत्न करे, क्योंकि मैं उसकी शफ़ाअत करूंगा।'' (तिर्मिज़ी ३६१७ तथा अहमद २:७४)

“ईमान मदीना की ओर पलटकर आएगा, जैसे सांप अपने बिल में पलटकर आता है।” (बुखारी १८७६ तथा मुस्लिम १४७)

मदीना के लिए बरकत की दुआ-

“ऐ अल्लाह! मदीना से हमें प्रेम करा दे, जैसा हमें मक्का से प्रेम है, बल्कि उससे अधिक। ऐ अल्लाह! हमारे नाप-तौल में बरकत दे और हमें स्वस्थ रख और मदीना के रोगों को ‘जुहफ़ा’ की ओर कर दे।” (बुखारी १८८८ तथा मुस्लिम १३७६)

मदीना में बसने की श्रेष्ठताः एक हदीस में आया है

“यमन विजय किया जाएगा तो लोग अपने परिवार को लेकर वहां चले जाएंगे, जबकि मदीना उनके लिए श्रेष्ठ होगा, अगर उनको पता होता, शाम विजय होगा तो लोग अपने परिवार को लेकर वहां चले जाएंगे, जबकि मदीना उनके लिए श्रेष्ठ होगा अगर उनको पता होता। इराक़ विजय होगा तो लोग अपने परिवार को लेकर वहां चले जाएंगे, जबकि मदीना उनके लिए श्रेष्ठ होगा अगर उनको पता होता।” (बुखारी १८७५ तथा मुस्लिम १३८८)

एक दूसरी हदीस में आया है-

“जो कोई मदीना से घृणा करता हुआ निकलेगा, अल्लाह उससे उत्तम लोगों को लाकर बसा देगा। मदीना तो एक भटटी है जो गन्दे लोगों को निकाल दिया करती है। क़ियामत उस समय तक नहीं आएगी जब तक मदीना अप्रसन्न लोगों को निकाल कर बाहर न कर दे, जैसे लोहे की भटटी लोहे के गन्दे पदार्थ को निकाल देती है। (मुस्लिम १३८१)

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का कथन है-

“ऐ (पर्वत) से सौर (पर्वत) तक मदीना हरम है। जिसने वहां अत्याचार किया या किसी अत्याचारी को शरण दी उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों तथा लोगों की लानत (फटकार) होगी। अल्लाह की यातना से बचने के लिए क़ियामत के दिन कोई बदला (फ़िदिया) स्वीकार नहीं होगा।” (बुखारी १८७० तथा मुस्लिम १३७०)

एक दूसरी हदीस में आया है।

“जिसने मदीना के वासियों के लिए दुष्कृत्य का विचार भी किया, अल्लाह उसको ऐसे घुला देगा जैसे पानी में नमक घुलता है।” (मुस्लिम १३८७)

मदीना के प्रसिद्ध स्थान

१. मस्जिदे नबवीः इसमें एक नमाज़ का सवाब एक हज़ार नमाज़ों के बराबर है।

२. रौज़ा-ए-नबीः मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने के पश्चात चाहे वह फ़र्ज़ हो या नफल, नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की क़ब्र पर जाए और यह कहते हुए आपको सलाम करे।

“अस्सलामु अलै-क या रसूलल्लाह!”

फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के दोनों साथी अबू बक्र तथा उमर की क़ब्र पर जाए। ये दोनों कबरें नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की क़ब्र से मिली हुई हैं और उनको सलाम करे।

रियाजुल जन्नतः यह स्थान नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के घर तथा आप के मिम्बर के बीच में है। (बुखारी ११९६ तथा मुस्लिम १३९१)

४. रियाजुल जन्नत के सुतूनः इन सुतूनों के पास नमाज़ पढ़ना नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बहुत पसन्द करते थे। (बुखारी ५०२

पानी पीने और खाने से संबन्धित महत्वपूर्ण अहकाम

सईदुर्रहमान सनाबिली

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के पीने के दौरान तीन बार सांस लेते और फरमाते थेः "इसमें आदमी को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, दुख नहीं होता और यह ज़्यादा खुश्गवार भी है।" (सहीह मुस्लिम २०२८)

उपर्युक्त हदीस का अर्थ यह है कि जब कोई पानी पिए तो एक सांस में पानी ना पिये बल्कि इसको गेप के साथ तीन सांस में पिए। इसको एक दूसरी हदीस में इस तरह स्पष्ट किया गया है जिसे अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब तुम में से कोई कुछ पिए तो बर्तन में सांस ना ले और अगर सांस लेना चाहे तो बर्तन को मुंह से अलग कर ले फिर अगर चाहे तो दोबारा पिए। (सुनन इब्ने माजा ३४२७, शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने इस हदीस को हसन क़रार दिया है।

अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में मानवता को बेहतरीन शिक्षायें दी हैं। ऊपर बयान की गई हदीस में आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तीन सांस लेकर पीने का निर्देश एवं उपदेश दिया है इसके कई कारण हैं जिनमें से एक यह भी है कि जब हम पानी पीते हैं तो सांस की नली स्वयं बंद हो जाती है और जब हवा अंदर पास नहीं होती तो खून साफ नहीं हो सकता। यही वजह है कि शरीअत ने तीन सांस में पानी पीने पर बल दिया है ताकि सांस ज़्यादा देर तक रूकी न रहे।

इसके विपरीत अगर हम एक सांस में पानी पीते हैं तो हमारी सेहत पर इसके हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। एक ही सांस में पानी पीने के निम्न नुकसानात हैंः

इससे पेट और आंत कमज़ोर हो सकती है, पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, पेट में जलन और गैस बनने की शिकायत पैदा हो सकती है और ज़्यादा मात्रा में पानी पिया जाए और पेट खाली हो तो यह तेजी से खून में मिल जाता है और इस तरह खून का बहाव बढ़ जाता है फिर खून का दबाव बढ़ता रहता है। पेट में ज़्यादा मात्रा में पानी मौजूद होने से पेट के अंदर दबाव बढ़कर आंतों और अन्य अंगों को दुख में लिप्त कर देता है इसलिए तीन सांस में पानी पीने से स्वास्थ्य बनी रहती है।

खाने में फूंक मारना या पीने के बरतन में सांस लेना जायज़ नहीं।

अबू क़तादा हारिस बिन रिबई रज़ियल्लाहो अन्हू बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब तुम में से कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस न ले। (सहीह बुखारी १४६, सहीह मुस्लिम ३७८०)

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस

लेने या उसमें फूंक मारने से मना किया है। (सुनन तिर्मिज़ी १८१०, सुनन अबू दाऊद ३२४०, शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने इस हदीस को सहीहुल जामे, हदीस न ६८२० में सहीह क़रार दिया है।

अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहो अन्हू बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पीने की चीजों में फूंक मारने से मना फरमाया। एक आदमी ने पूछा कि बर्तन में कोई अप्रिय चीज़ देखूं तो क्या करूं? आपने फरमाया उसे हटा दो उसने पूछा एक सांस में मेरा मन नहीं भरता, आपने फरमाया तब (सांस लेते वक्त प्याला अपने मुंह से हटा लो) सुनन तिर्मिज़ी १८८७, शैख अल्बानी रहिमाहुल्लाह ने इसे हसन क़रार दिया है।

इन दोनों हदीसों में खाने-पीने के बर्तन में सांस लेने से रोका गया है। एक ही सांस में गटागट पानी पीने से शरीर को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसलिए कई सांसों में आराम से पानी पीना चाहिए। बर्तन में सांस लेने और खाने में फूंक मारने की मनाही इसलिए है ताकि मुंह से निकलने वाले बैक्टीरिया पानी के द्वारा दोबारा शरीर में प्रवेश न कर सकें। बर्तन से मुंह हटा कर बिना फूंक मारे खाना पीना शिष्टचार और अच्छी आदत है और इसके विपरीत करना शिष्टाचार के खिलाफ है। खाने की चीजों में फूंक मारने का मामला यह है कि जब कोई चीज़ बहुत गर्म हो तो आदमी फूंक मार कर उसको ठंडा करता है।

ऐसी स्थिति आमतौर से पीने की चीजों में पेश आती है। पानी, चाय, शरबत या ड्रिंक इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें बहुत गर्म होती हैं जिनको नार्मल करके ही पिया जा सकता है। इस्तेमाल के योग बनाने के लिए लोग आमतौर से इन चीजों में फूंकने लगते हैं इसकी स्पष्ट रूप से मनाही है। जो ड्रिंक बहुत ठंडा होते हैं उनको भी इस हालत में इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसी हालत में ज़रूरी है कि आदमी थोड़ी देर के लिए इंतजार करे और फिर इस्तेमाल करे।

पानी पीने की बेहतरीन सूरत यह है इसको कम से कम तीन सांस में पीया जाए। यह तरीका पानी की उपयोगिता के लिए बेहतर हे। इस तरह से पानी पीने वाला पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और उसको सुगमता का एहसास होता है। इंसान के पानी पीने का मक़सद शरीर के विकास में बढ़ोतरी है। खाने का इस्तेमाल सहीह तरीके से हो तो इसका पूरी तरह फायदा होता है जिस तरह अच्छा खाना शरीर के लिए लाभकारी होता है उसी तरह उसका सहीह इस्तेमाल भी हो तो ज्यादा लाभकारी होता है।

नीचे गिरे हुए खाने को उठाकर इस्तेमाल कर लेना चाहिए

पहली बात तो यह है कि जब हम खाना खाएं तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि खाना नीचे ना गिरने पाये। कुछ लोग इसमें बड़ी लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से खाने की एक बड़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है। यह हरगिज़ उचित नहीं है अगर खाना गिर भी जाए तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यह शिक्षा दी है कि इसको उठाकर खा लिया जाए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

को फरमाते हुए सुनाः

शैतान तुम्हारे हर मामले में यहां तक कि खाने के वक्त भी हाजिर होता है, जब तुम में से किसी से लुक़मा गिर जाए तो वह उसे साफ करके खा ले और इसे शैतान के लिए ना छोड़े और खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां चाट ले क्योंकि वह नहीं जानता कि उसके खाने के किस भाग में बरकत है। (सहीह मुस्लिम :२०३३)

अनस रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खाते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाटा करते थे। आपने फरमायाः

जब तुम में से किसी का निवाला गिर जाए तो उस से गर्द गुबार झाड़ दे और इसे खा ले, इसे शैतान के लिए ना छोड़ो। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें प्लेट चाटने का हुक्म दिया और फरमायाः तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत रखी है। (सहीह मुस्लिम २०३४)

इन हदीसों से मालूम होता है कि गिरा हुआ निवाला साफ करके खा लेना चाहिए। इस्तेमाल के लायक़ खाने को बर्बाद करना शैतान जैसा काम है। इससे यह भी मालूम हुआ कि अपनी प्लेट में खाना इतना लेना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। खाने के बाद बर्तन को अच्छी तरह साफ करना चाहिए यह कोई ऐब की बात नहीं बल्कि सुन्नत है। ऐसा करने में दिमाग के अहंकार और घमंड का उपचार भी है लेकिन अफसोस कि हम शादी के अवसर पर जानवरों की तरह खाना इस्तेमाल करते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के खानों से प्लेट भर लेते हैं फिर कुछ निवाला लेकर बाकी को बर्बाद कर देते हैं। दुख की बात यह है कि रोटी के टुकड़ों से हम अपने हाथ साफ करते हैं फिर उन्हें बर्बाद करके फेंक देते हैं इस तरह हम खाने को बर्बाद ही नहीं करते बल्कि अल्लाह की ना शुकरी भी करते हैं।

खाने में ऐब निकालना दुरूस्त नहीं

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खाने में ऐब नहीं लगाया, अगर इच्छा होती तो खा लेते और अगर न पसंद होता तो छोड़ देते। (सहीह बुखारी ३५६३, सहीह मुस्लिम २०६४)

अरे यह क्या कर दिया तुमने इतना ज़्यादा नमक? कोई जानवर भी नहीं खा सकेगा? दिमाग कहां रहता है तुम्हारा? यह डांट उस मां को लगाई जा रही है जिसने बेटे के लिए क्या क्या तकलीफें नहीं उठाईं। जो अपने बेटे के हर नाज़ नखरे को बर्दाश्त करती रही, जो अपने बेटे की खुशी की खातिर ग़म में पिघलती रही। यह गुस्सा उस बीबी पर हो रहा है जिसने अपने छोटे बच्चों के पालन पोषण और दूसरे कामों के साथ-साथ अपने पति के लिए वक़्त पर खाना पका रही है। जी! यह सब होता है और हो रहा है इतनी छोटी बात पर बेटा मां को छोड़कर चला जाता है, पति अपने बच्चों के भविष्य के बारे में परवाह किए बिना बीवी को तलाक़ दे देती है।

प्रिय भाइयो!

खाना सामने आ जाए तो एक क्षण के लिए सोचिए कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको खाने का एक लुक्मा (निवाला) भी उपलब्ध नहीं है जो जीवित रहने के लिए फेंका हुआ

खाना खाते हैं और दूषित पानी पी कर अपनी प्यास बुझाते हैं, अल्लाह ने अपको यह नेमत दी है, शुक्रिया अदा कीजिए। अपने गरीब भाइयों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो उनके लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह! तू ने हमें यह नेमत दी है अपने हर मोमिन बंदे को यह नेमत दे दे फिर आपके घर में बरकत ही बरकत होगी।

खाने में मक्खी गिर जाए तो क्या करें?

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जब तुम में से किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो उसे पूरे तौर पर डुबो दे फिर उसे निकाल कर फेंक दे क्योंकि उसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। (सहीह बुखारी ३३२०)

उपयुक्त हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शिक्षा दी है कि अगर तुम्हारे पीने की चीजों में कभी मक्खी गिर जाए तो उसे ड्रिंक में तैरते रहने देने के बजाय पूरी तरह से डुबो दें इसलिए कि इसके एक पर में बीमारी के कीटाणु होते हैं और दूसरे में इस बीमारी का इलाज और तोड़ होता है। जो बीमारी उसके पर के पीने की चीज़ में गिरने से हो सकती है उसके दूसरे पर में अल्लाह तआला ने इसका इलाज अर्थात आरोग्य रखा है। इसलिए इसका दूसरा पर भी पानी में डुबोकर बाहर निकाल दें इस तरह वह पीने की चीज़ बीमारी के प्रभाव से पवित्र हो जाएगी।

किसी खाने पीने की चीज़ को नापाक करने वाली चीज़ किसी जानवर का खून होता है, जिस जानवर में खून नहीं अर्थात उनकी रगों में खून हरकत नहीं करता अगर वह खाने पीने की चीज़ों में गर जाएं तो इससे वह चीज़ अपवित्र नहीं होती जैसे शहद की मक्खी, मकड़ी, चीटी आदि।

यह ज़रूरी नहीं की मक्खी को डुबोकर ड्रिंक को पी ही लिया जाए लेकिन अगर कोई पी लेता है तो कोई पाप नहीं क्योंकि मक्खी के गिरने और उसे डूबो देने से वह ड्रिंक पवित्र है और बीमारी के असर से सुरक्षित हो गया है।

इस हदीस पर ऐतराज़ और जवाबः बहुत से लोगों ने कहा है कि यह हदीस रोज़मर्रा के मामलात के खिलाफ होने के साथ-साथ साइंस के रिसर्च के भी खिलाफ है क्योंकि एक आदमी को भी मालूम है कि मक्खी बीमारी की कीटाणुओं को फैलाती है।

सबसे पहली बात तो यह है कि हम सभी मक्की से घिन करते हैं क्योंकि वह गंदगी पर बैठती है फिर कीटाणु की वजह से मक्खी और भी बदनाम है इसलिए अगर मक्खी चाय की प्याली, पानी और शरबत के गिलास में गिर जाए तो हम तुरंत इसे फेंक देते हैं लेकिन अगर दूध की भरी बाल्टी में या पिघले हुए घी या शुद्ध शहद के भरे बरतन में गिर जाए तो ना तो इसे गिराते हैं और ना बर्बाद करते हैं। उस वक़्त हमें मक्खी में कीटाणु या गंदगी से घिन का उतना एहसास नहीं होता, क्यों? दुरूस्त रवैया क्या होना चाहिए?

अब दूसरी तरफ साइंस की रिसर्च की तरफ आइये। इससे तो एक बात यह मालूम हुई कि हदीस में भी मक्खी के एक पर में बीमारी का उल्लेख है और साइंस आज भी यही बात बता रही है कि मक्खी बीमारी फैलाती है। इसलिए पहला

सवाल तो यही दुआ कि १४०० साल पूर्व मक्खी से बीमारी फैलने के बारे में कौन सा रिसर्च हुआ था कि उनका जिक्र इस हदीस में आया है।

अब हदीस के जिस हिस्से पर ज़्यादा आपत्ति है वह यह है कि मक्खी के पंख में शिफा (आरोग्य) होता है। आइए देखें कि मेडिकल साइंस इस बारे में कया कहती है।

इंग्लैंड की प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिका Doctorian Experiences पत्रिका नंबर ७५०१, इसमें मक्खी के बारे में नया रिसर्च बयान किया गया है जिसका सारांश यह है कि मक्खी जब खेतों और सबजियों पर बैठती है तो अपने साथ विभिन्न बीमारियों के कीटाणु उठा लेती है लेकिन कुछ देर बाद यह कीटाणु मर जाते हैं और उनकी जगह मक्खी के पेट में बकतर फालूज नामक एक जहरीला पदार्थ पैदा होता है जो जहरीले कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर किसी नमकीन पानी में मक्खी के पेट का पदार्थ डालेंगे तो आपको यह बकतर फालूज मिल सकता है जो विभिन्न बीमारियां फैलाने वाले चार प्रकार के जरासीम को मार सकता है, इसके अलावा मक्खी के पेट का यह पदार्थ बदलकर बकतर फालूज के बाद एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा जो चार और किस्म के कीटाणुओं को मारने के लिए लाभकारी होगा।

अब अरब की एक इस्लामी संस्था जमईयतुल हिदाया अल इस्लामिया का रिसर्च पढ़िए। उन्होंने मक्खी पर एक बड़ा लेख प्रकाशित किया है जिसका उल्लेखानीय भाग यह है कि मक्खी के शरीर में जो ज़हरीला पदार्थ पैदा होता है उसे किटाणुओं को दूर करने वाला बैठटेरिया कहते हैं। मक्खी के एक पर की खूबी यह है कि वह बैक्टेरिया को उसके पेट से एक पहलू की तरफ ट्रांसफर करती रहती है इसलिए मक्खी जब किसी खाने और पीने की चीज़ पर बैठती है तो पहलू से चिमटे हुए कीटाणु इसमें डाल देती है। इन कीटाणुओं से बचाने वाली पहली चीज़ मुबअइदुल वैक्टेरिया है। जिसे मक्खी अपने पेट में एक पर के पास उठाए रहती है इसलिए चिमटे हुए जहरीले कीटाणुओं और उनके क्रिया को खत्म करने के लिए यह चीज़ काफी है कि पूरी मक्खी को खाने में डूबोकर बाहर फेंक दिया जाए। (देखिएः तफ्हीमुल इस्लाम, पृष्ठ ५५४)

तथा मुस्लिम ५०६)

५. मस्जिदे कुबाः यह वह पहली मस्जिद है जिसकी नींव नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उस समय डाली जब आप मक्का से हिजरत करके कुबा में बनी अम्र बिन औफ़ के यहां ठहरे थे। इसमें एक नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उमरा के बराबर है। (नेसई २ः३७, इब्ने माजा १४१२, मुसनद अहमद ३ः४८७)

६. उहुद नामक पर्वतः जब नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आ रहे थे, उस समय उहुद नामक इस पर्वत को देखकर फरमाया। ''यह वह पहाड़ है जो हमसे प्रेम करता है और जिससे हम प्रेम करते हैं।'' (बुखारी ४४२२ तथा मुस्लिम १३६२)

७. मक़बरा बकीअः फिर 'बक़ीअ' नामक क़ब्रिस्तान जाए और यह दुआ पढ़े। ''अस्सलामु अलैकुम दार कौमिममुमिनीन, अन्तुम साबिकून, व नहनु इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिकून।

''तुम आगे जाने वालों में हो और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो तुमसे मिलने वाले हैं।

घरों में प्रवेश से सम्बन्धित शिष्टाचार

डा० मुक़्तदा हसन अज़हरी

सभ्य जीवन की आवश्यकता है कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से मिलें, समाचार तथा कुशलता के विषय में जानकारी प्राप्त करें, आवश्यकता की वस्तुओं में सहयोग करें तथा आपसी मेल-मिलाप के द्वारा भाई-चारे की भावना बढ़ायें। परन्तु इस मेल-जोल का कम कोई ऐसा रूप न धारण कर ले जिससे सम्मान एवं पवित्रता की जो व्यस्था इस्लामी नियमों पर आधारित है वह नष्ठ हो। इसलिये इस्लाम ने कुछ मूल आदेश एवं शिष्टाचार ऐसे बताये हैं जिनकी सुविधा से पवित्रता तथा स्वच्छता का वातावरण स्थापित होगा तथा लोगों के घरों का सम्मान सुरक्षित रहेगा।

घरों में प्रवेश से सम्बन्धित इस्लामी शरीअत (विधान) ने यह मार्ग दिखाया है कि जब मुस्लिम महिलाओं या पुरूषों में से कोई दूसरे के घर जाये तो बिना सूचित किये घरों में प्रवेश न करे, बल्कि दरवाज़ा पर पहुंचकर सलाम करे तथा आज्ञा मांगे, जब आज्ञा मिल जाये तो प्रवेश करे। यह आदेश सभी के लिये समान है, चाहे घर वालों से इसका कितना ही निकट सम्बन्ध क्यों न हो। इस आदेश का आधार सूरः नूर की २७ वीं आयत है। इमाम क़ुरतबी ने इस आयत के सबंन्ध में लिखा है कि किसी दूसरे के घर में प्रेवेश करने वाले हर व्यक्ति के लिये आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है, चाहे द्वार खुला हो या बन्दा हो। शरीअत ने जब अपरिचित घरों में प्रवेश करने से मना कर दिया तो अब बिना घर वाले की आज्ञा के प्रवेश करना उचित नहीं।

आज्ञा लेने का उपरोक्त आदेश सभी वयस्कों के लिए है। सूरः नूर आयत ४१ में इसका वर्णन है। उलमा ने लिखा है कि घर के भीतर मां, बहन या बेटी रहती हों तो इस दशा में भी आज्ञा आवश्यक है। एक हदीस में वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म से एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या मां से भी आज्ञा लूं, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने कहा, ''फिर भी आज्ञा लो'', उस व्यक्ति ने पुनः कहा कि मैं उसकी सेवा करता हूं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने कहा, ''क्या तुम उसे नंगी देखना पसन्द करोगे? उसने उत्तर दिया कि नहीं, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने कहा कि तब आज्ञा लो।

शरीअत ने दासों तथा बच्चों के विषय में यह आदेश दिया है कि जब वह प्रातः से पूर्व, दोपहर में, और रात की नमाज़ के बाद घर में या कमरा में प्रवेश करना चाहें तो बिना आज्ञा के प्रवेश न करें। क्योंकि प्रायः इन समयों में मनुष्य अपने कुछ कपड़े उतार देता है या एक ऐसी स्थिति में होता है जिसमें स्वयं को अन्य से छिपाना चाहता है।

कुरआन की यह भी शिक्षा है कि यदि घर में प्रवेश की आज्ञा न मिले तो व्यक्ति को वापस हो जाना चाहिए, यही उचित है।

अर्थात तीन आज्ञा मांगी जाये,

यदि कोई उत्तर न मिले या वापसी का उत्तर मिले तो अधिक हठ करना अनुचित है। घर वाला अपनी स्थिति तथा भेंट के महत्व को भली भांति जानता है, यह प्रसंग अन्य सहीह हदीसों में भी वर्णित है।

आज्ञा लेने के शिष्टाचार में है कि भेंट कर्ता आज्ञा लेते समय द्वार के समक्ष इस प्रकार न खड़ा हो कि घर के भीतर लोगों की बेपरदगी हो, बल्कि द्वार के दायें या बायें खड़ा हो यही नबी स० का आदर्श है।

इस्लाम ने परदा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये घरों में झांकने को कड़ाई के साथ रोका है तथा नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने एक हदीस में स्पष्ट किया है कि नज़र पढ़ने से बचाने ही के लिए आज्ञा लेने का आदेश है, यदि आज्ञा से पूर्व ही आदमी झांक कर घर के अन्दर का वातावरण देख ले तो फिर आज्ञा लेने का क्या लाभ होगा? इस सम्बन्ध में यहां तक कहा गया है कि घरों में बिना आज्ञा झांकने वाले की आंख यदि कोई फोड़ दे तो उस पर सज़ा नहीं।

घरों में प्रवेश से सम्बन्धित शिष्टाचार तथा प्रतिबन्धों का उद्देश्य चूंकि निर्लज्जता को रोकना है, इसलिए इस्लाम ने इस नियम को बहुत कड़ा बनाया है। अतः हदीसों में यह शिक्षा है कि यदि किसी व्यक्ति को घर में प्रवेश करने की आज्ञा भी मिल जाये, परन्तु उसे ज्ञात हो कि अन्दर कोई पुरूष नहीं है केवल महिलायें हैं तो उसे वापस जाना चाहिए। महिला यदि उससे परदा करने वाली है तो उसके साथ एकान्त उचित नहीं।

बुखारी शरीफ की एक हदीस में उम्मे सलमा रजि० का कथन है कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने एक हिजड़े से तायफ की महिलाओं की, काम वासना उत्तेजक चर्चा सुनी तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने उसे घर में आने से रोक दिया।

इससे ज्ञात हुआ कि हिजड़ों को घर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह अन्य घरों की महिलाओं की स्थिति की चर्चा करेंगे तथा जो परदे का उद्देश्य है समाप्त हो जायेगा।

महिलाओं के लिए कुछ आवश्यक शिष्टाचार

घरेलू माहौल को साफ सुथरा रखने के लिये इस्लाम ने महिलाओं का ध्यानाकर्षण निम्नलिखित शिष्टाचार की ओर किया है।

१. घर से बाहर खड़े किसी व्यक्ति से यदि परदा की ओट से कुछ पूछना या उसके किसी बात का उत्तर देना है तो बोलने की शैली गम्भीर हो, बात में किसी प्रकार का आकर्षण न हो कि चरित्रहीन तथा तुच्छ प्रकृति के व्यक्ति की नीयत बिगड़े। इसी प्रकार बात आवश्यकता से अधिक न हो। सूरः अहज़ाब की आयत न० ३२ में वर्णित इस आदेश का सम्बोधन उम्महातुल मोमिनीन (अर्थात नबी स० की पत्नियां) को है। परन्तु व्याख्याकारों का कथन है कि चरित्रहीनता को समाप्त करने के लिये इसका अनुपालन सभी मुस्लिम महिलाओं के लिये आवश्क है।

इस अवसर पर यह व्याख्या उचित है कि महिलाओं की आवाज़ के विषय में उल्मा वर्ग एकमत नहीं है। कुछ लोगों का कथन है कि महिलाओं की आवाज़ सुनना गैर पुरूष के लिए वैध नहीं। किन्तु ध र्मानुसार महिला की आवाज गैर पुरूष भी सुन सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, परन्तु शर्त यह है कि आवाज़ बुराई का साधन या मनोरंजन के लिए न हो, बल्कि आवश्यकता की सीमा में हो। नबी० सल्लल्लाहो

अलैहि वसल्ल्म की पत्नियों तथा उनके सहयोगी गण (सहाबा रज़ि०) की पत्नियों के विषय में वर्णित है कि वे आवश्यकता पड़ने पर परूषों से बात करती थीं।

२. सूरः नूर की आयत न० ३१ में यह आदेश है कि गैर पुरूष के सामने महिला को सौदंर्य प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कुछ महिलायें घरों में आने वाले से कुछ महिलायें परदा नहीं करतीं। इस्लामी शिक्षा के अनुसार यह अनुचित है, इस असावधानी के बुरे परिणाम होते हैं।

३. जिस प्रकार किसी अपरिचित महिला को देखने पर कामुकता की भावना भड़कती है, उसी प्रकार किसी महिला के शरीर की बनावट या उसका वर्णन करने तथा उसके सुन्दरता की चर्चा करने से भी काम वासना उत्तेजित होती है, इसलिये शरीअत ने इससे मना किया है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० द्वारा वर्णित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई स्त्री, दूसरी स्त्री के साथ रहने के पश्चात अपने पति के समक्ष उसके सौन्दर्य का ऐसा चित्रण न प्रस्तुत करे कि मानो पति उसे देख रहा हो।

महिला के लिये घर की पाबन्दी

इस्लाम ने निर्लज्जता तथा चरित्रहीनता को समाप्त करने के लिये अनेकों साधन उपलब्ध कराये हैं। उनमें से एक साधन महिलाओं के लिये यह आदेश है कि वह अनावश्यक, घर से बाहर न निकलें। सूर अहजाब की आयत न० ३१ में नबी स० की पत्नियों को यह आदेश दिया गया है कि अपने घरों में रहो तथा असभ्य युग के समान बनाव श्रंगार दिखाती न फिरो।

एक हदीस में इस आदेश का रहस्य बताया गया है। अतः कहा गया है कि स्त्री जब बाहर निकलती है तो शैतान उसे देख लेता है तथा उसके द्वारा कुकर्म पैदा करने का प्रयास आरम्भ कर देता है।

कुरआन की उपरोक्त आयत में चूंकि उम्महातुल मोमिनीन को सम्बोधित किया गया है तथा घरों में रहने का आदेश दिया गया है। इसलिये यूरोप की भौतिक सभ्यता तथा फैशन के दीवाने यह प्रयास करते हैं कि सामान्य महिलाओं को इस पाबन्दी से पृथक घोषित करें। इस्लामी शरीअत की आत्मा तथा कुरआन की वर्णन शैली से अनभिज्ञ कुछ लेखक ऐसे लोगों का समर्थन भी कर देते हैं, जिससे यथार्थ परिवर्तन का द्वार खुल जाता है, तथा ओछे लोगों को अपने गलत मार्ग के लिये सहारा खोजने का साहस हो जाता है। परन्तु इस्लामी विद्वानों एवं टीकाकारों के कथनों पर दृष्टि रखी जाये तो इस प्रकार की व्यर्थ बातों से बचा जा सकता है। इमाम कुरतबी तथा इमाम अबू बक्र ने सूरे अहज़ाब की उक्त आयत के सम्बन्ध में व्याख्या की है कि इस आदेश के अन्तर्गत सभी महिलायें सम्मिलित हैं, तथा इन सभी को घर में रहने का पाबन्द बनाया गया है, क्योंकि संयम तथा पवित्रता में उनका स्थान नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पत्नियों से निम्न कोटि का है। अतः उन्हें इस प्रकार के आदेश की अधिक आवश्यकता है।

समस्त मुसलमान औरतों को अकारण घरों से निकलने पर अनेकों हदीसों में रोका गया है। इससे भी इस कथन की पुष्टि होती है कि उपरोक्त आयत का आदेश उम्महातुल मोमिनीन के लिए ही विशेष नहीं है।

सफ़र का महीना मनहूस नहीं होता

हाफिज़ ज़ैदुर्रहमान फैज़ी

इस्लाम धर्म में दीन में नई चीज़ अर्थात बिदअत और खुराफात के लिये कोई जगह नहीं है। सफर के महीने में कुछ ऐसे ख्यालात और राय बना ली गयी है जिस का इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है। सफर के महीने को जाहिलियत के जमाने में बेबर्कत समझा जाता था। हिन्दुस्तान के मुसलमानों का एक वर्ग भी सफर के महीने को बेबर्कत अर्थात मनहूस समझता है यही वजह है कि कुछ लोग इस महीने में शादी विवाह करने से परहेज़ करते हैं, कारोबार की शुरूआत भी नहीं करते। इन लोगों का ख्याल है कि हर वह काम जो सफर के महीने में शुरू किया जाता है उस में बरकत नहीं होती है। स्पष्ट रहे कि सफ़र का महीना इसलमी महीना का दूसरा महीना है जिस तरह फरवरी अंगेजी साल का दूसरा महीना है।

लेकिन इस्लाम ने इस तरह की राय और ख्यालात का खण्डन किया है। एक अवसर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने फरमाया कि कोई भी बीमारी सकर्मक नहीं होती, न ही अशुभ लेना जायज़ है, न उल्लू की पुकार बेबर्कत है और न सफर का महीना बेबर्कत है। (सहीह बुखारी)

इमाम इब्ने कैइम रह० लिखते हैं कि इस हदीस से उन तमाम ख्यालात का खण्डन करना मक़सद है जो इस्लाम के पूर्व किये जाते थे।'' (कुर्रतों उयूनिल मुवहदीन २/३८४)

इब्ने रजब रह० फरमाते हैंः

इस हदीस में सफर के महीने को मनहूस समझने से मना किया गया है, सफर के महीने को मनहूस समझना अशुभ के प्रकारों में से है। इस तरह मुश्रिकों का सफर के पूरे महीने में से बुद्ध के दिन को मनहूस ख्याल करना गलत है। (पूर्व संदर्भ)

इमाम मालिक रह० फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले के जमाने के लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते थे और कहते कि यह महीना मनहूस है। उपर्युक्त हदीस में इन ख्यालात का खण्डन किया गया है। (लताइफुल मआरिफ १४७)

किसी वक़्त और महीने को मनहूस समझने की इस्लाम धर्म में कोई गुनजाइश नहीं बल्कि अल्लाह के बनाये गये दिन और वक़्त में ऐब लगाने के समान है और इससे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने मना किया है।

आपने फरमाया कि अल्लाह तआला ने फरमाता हैः आदम का बेटा मुझे दुख देता है वह वक़्त दिन, महीना, साल को गाली देता है हालांकि वक़्त मैं ही हूं, बादशाहत मेरे हाथ में है, मैं ही दिन रात को बदलता हूं। (सुनन अबू दाऊद ५२७४)

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने फरमायाः किसी चीज़ को मनहूस समझना शिर्क है, किसी चीज़ को मनहूस समझना शिर्क है, किसी चीज़ को मनहूस समझना शिर्क है। (सुनन अबू दाऊद) नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्ल्म ने फरमायाः जो शख्स अशुभ के डर से अपने किसी काम से रूक गया तो निसन्देह उसने शिर्क किया। (मुसनद अहमद)

बाज़ हज़रात सफर महीने के आखिरी बुद्ध को कारोबार बन्द करके खुशियां मनाते हैं, मनोरंजन के लिये घमूने टहलने निकल जाते हैं। वजह यह बयान की जाती है कि सफर के आखिरी बुद्ध को अल्लाह के रसूल को बीमारी से शिफा मिली थी जब कि इस की कोई हक़ीक़त नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सफर के शुरूआत के १३ दिन मनहूस हैं जबकि यह सब अज्ञानता की बातें हैं।

(प्रेस रिलीज़)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति के सत्र में आतंकवाद की निंदा

दिल्ली ४ मार्च २०२४

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्यसमिति का एक महत्वपूर्ण सत्र मर्कज़ी जमीअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में हुआ जिसमें देश के अधिकांश राज्यों से आमंत्रित कार्य समिति के सदस्यगण, सूबाई जमीअतों के पदधारी और विशेष आमंत्रित सदस्यों ने बड़ी तादाद में शिर्कत की।

मर्कज़ी जमीअत के अमीर ने सत्र में कुरआन व हदीस का अनुसरण, एकता व भाईचारा, सदाचार, और मध्यमार्ग की अहमियत पर रोशनी डाली और सांप्रदायिक सौहार्द, इन्सान दोस्ती और इस्लाम की मानवतावादी एवं उज्जवल शिक्षाओं से देश बन्धुओं को अवगत कराने सह-अस्तित्व, और अल्लाह से निकटता प्राप्त करने की अहमियत की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि यही हमारे पूर्वजों की विशेषता रही है। मर्कज़ी जमीअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने हर प्रकार के आतंकवाद, अशान्ति, धार्मिक वैमनष्यता और उत्तेजना की कड़े शब्दों में निन्दा की और ईमानी कुव्वत, संयम, हिम्मत व मनोबल, बुद्धिमत्ता के साथ एक उत्तम समुदाय का फर्ज़ निभाने का उपदेश दिया।

मर्कज़ी जमीअत के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने मर्कज़ी जमीअत की कार्रकर्दगी रिपोर्ट पेश की जिसकी सदस्यों ने पुष्टि की इसके बाद मर्कजी जमीअत के कोषाध यक्ष अलहाज वकील परवेज़ ने जमीअत के हिसाबात पेश किये जिस पर हाउस ने इतमीनान और विश्वास व्यक्त किया।

सत्र में समुदायिक, जमाअती, देशीय, और वैश्विक और महत्वपूर्ण समस्याओं के सिलसिले में क़रारदाद और प्रस्ताव पेश की गई जिन्हें कार्य समिति के सदस्यों ने एकमत होकर मनजूर किया और तय पाया कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा ३५ वीं आल इंडिया अहले हदीस कांफ्रेन्स ६-१० नवम्बर २०२४ को दिल्ली में आयोजित होगी। क़रारदाद में एकेश्वरवाद की आस्था से पूरी मानवता को अवगत कराने, पैगम्बर हज़रत मुहम्मद की जीवनी की अहमियत को उजागर करने और इस्लाम के प्रति फैली गलतफहमियों के निवारण की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। देश में आपसी भाई चारा, राष्ट्रीय एकता की ज़रूरत पर जोर और ऐसे बयानात से बचने की अपील की गई है जिस से गंगा जमुनी सभ्यता प्रभावित होती हो। इसी प्रकार उच्च शिक्षाओं में मुस्लिम क्षात्रों की कामयाबी पर उन्हें बधाई आधुनिक शैक्षिक संस्थानों की सथापना को समुदायिक ज़िम्मेदारी

क़रार दिया गया है। मदर्सों के खिलाफ बाज सरकारों के पक्षपती व्यवहार और मुस्लिम धार्मिक स्थानों को ढाने और धार्मिक स्थानों की सुरक्षा से संबन्धित एक्ट १९९१ के बावजूद इन पर दावेदारी पर चिंता व्यक्त की गई है।

कार्य समिति की क़रारदाद में कहा गया है कि गैर कानूनी निमार्ण का प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता लेकिन निर्माण के मुददतों बाद विध वंस कारवाई चिंता जनक और दुखदायी है। कार्य समिति ने की करारदाद में हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हुये कार्य समिति अपने इस दृष्टिकोण को दोहराय है कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना सरासर गलत और अन्याय है। इसी तरह हर तरह के मुजरिमाना, मुनाफिकाना, कायर्तापूर्ण खूनी दुर्घटनाएं जो किसी भी स्तर पर घटित हो रही हों की भी निन्दा की गई। क़रारदाद में मर्कज़ी जमीअत के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी के राबता आलमे इस्लामी के मुजम्मउल फिकह अल इस्लामी का सदस्य नामित होने और मुस्लिम प्रस्नल ला का उपाध्यक्ष चयनित होने पर मुबारकबाद देते हुये उन्हें इन पदों का पात्र क़रार दिया और २०वें आल इंडिया हिफ्ज़ व तजवीद कुरआन करीम प्रतियोगिता के आयोजन को समय की ज़रूरत क़रार देते हुए इसकी प्रशंसा की गयी। क़रारदाद में केराला, हिमाचल और उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा से होने वाले जानी आर्थिक नुक्सान पर गम व खेद व्यक्त करते हुए सरकारों और अवाम से बिना किसी भेद भाव प्रभावितों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की अपील, इस्राईल की आक्रामक और अमानवीय कार्रवाई की निन्दा की गई है।

इसके अलावा हज के दिनों में हज के दौरान होने वाली मौत पर पसमॉदगान से शोक व्यक्त किया गया और इस संबन्ध में सऊदी के खिलाफ गलत प्रोपैगण्डों की निन्दा और देश, समुदाय और जमाअत की महत्वपूर्ण हस्तियों के निधन पर गहरे रंज व गम का इज़हार किया गया और सभी मृतकों के लिये मग्फिरत की दुआ की गई है।

(प्रेस रिलीज़)

सफ़रुल मुजफ्फर १४४६ का चाँद नज़र नहीं आया

दिल्ली, ५ अगस्त २०२४

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ मुहर्रमुल हराम १४४६ हिजरी अर्थात ५ अगस्त २०२४ सोमवार को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और सफ़रूल मुजफ्फर के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर नहीं मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक ६ अगस्त २०२४ को सफ़रूल मुजफ्फर की पहली तारीख होगी।

(प्रेस रिलीज़)

२०वां आल इंडिया हिफ्ज व तजवीद व तफ्सीर कुरआन करीम प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न, देश भर से लगभग 500 क्षात्रों ने शिर्कत की, समुदायिक संगठनों के पदधारियों और ओलमा की प्रतियोगिता की सराहना

दिल्ली ५ अगस्त २०२४

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा आयोजित २०वें आल इंडिया हिफ्ज़ व तफसीर कुरआन करीम प्रतियोगिता के अंतिम सत्र से संबोधित करते हुए मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर महोदय मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने कहा कि पवित्र कुरआन पूरी मानवता के लिये मार्गदर्शक है और इसके अन्दर मानवता की सभी समस्याओं का समाधान मौजूद है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका प्रोपैगण्डा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस किताब की वजह से दुनिया अम्न व शान्ति भाई चारा, राष्ट्रीय एकता और मानवतावाद का स्थल बन गई।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के महा सचिव ने कहा कि कुरआन जिस उम्मत पर नाज़िल हुआ वह सबसे बेहतर समुदाय बन गयी और इससे जो भी जुड़ा उसे सफलता मिली।

शाह वलीउल्लाह इन्सटीटियूट के अध्यक्ष मौलाना अताउर्रहमान कासिमी ने कहा कि इस तरह का प्रतियोगिता भूतपूर्व में नहीं हुआ।

जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर अखतरूल वासे ने मर्कज़ी जमीअत के अमीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जमीअत के जिम्मेदारान बधाई के पात्र हैं जो पिछले बीस वर्षों से यह प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। जरीदा तर्जुमान के एडीटर मौलाना खुरशीद आलम मदनी ने कहा अगर कुरआन से रिश्ता मज़बूत है तो हम लोग कामयाब हैं। मुस्लिम मज्लिस मुशावरत के अध यक्ष फिरोज़ अहमद ने इस प्रकार के प्रोग्राम के आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते और बधाई देते हुए कहा कि मौलाना असगर अली के तत्वाधान में जमीअत तेजी से आगे बढ़ रही है।

जमाअते इस्लामी के कैइम जनाब मलिक मोतसिम ने कहा कि हर आलिमे दीन को कुरआन करीम याद करना चाहिए।

मर्कज़ी जमीअत के सरपरस्त सलाहुददीन मकबूल ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों से संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने

कुरआन को हिफ्ज़ कर लिया है क्यामत के दिन उनके मां बाप को ताज पहनाया जायेगा। जमीअत के सरपरस्त डा० अब्दुर्रहमान परेवाई ने कहा कि कुरआन को समझने के लिये पहली शर्त यह है कि आप कुरआन की जुबान को भी समझें।

हकम हज़रात का प्रतिनिधुत्व करते हुए दारूल उलूमज वक़्फ़ देवबन्द के उस्ताद अलाउददीन कासिमी ने कहा यह मर्कज़ी जमीअत की एतदाल पसन्दी की दलील है कि वह हर विचारधारा के हकम हज़रात व क्षात्रों को प्रतियोगिता में शिर्कत का मौक़ा देती है।

इस अंतिम सत्र से सूबाई जमीअतों के पधारी, कार्य समिति के सदस्यों और अन्य ओलमा ने भी संबधोधित किया और इतना सफल प्रतियोगिता के आयोजन पर बधाई दी। सभी श्रेणी के पोजीशन लाने वाले क्षात्रों को नक़द इनाम, किताब और सभी क्षात्रों को घड़ी और प्रशस्ति पत्र दिये गये। इस प्रतियोगिता में लगभग ५०० क्षात्रों ने शिर्कत की।

(जरीदा तर्जुमान १६-३१ अगस्त २०२४ में प्रकाशित प्रेस रिलीज़ का सारांश)

पड़ोसी के बारे में इस्लाम के निर्देश

मौलाना अब्दुर्रऊफ रहमानी झण्डानगरी

एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सभा में तीन बार क़सम खाकर कहा कि अल्लाह की क़सम यह मोमिन नहीं, अल्लाह की क़सम यह मोमनी नहीं, अल्लाह की क़सम यह मोमिन नहीं, सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल वह कौन है? आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसका पड़ोसी उसकी बुराइयों से सुरक्षित नहीं। (मुस्नद अहमद)

तफसीर दुर्र मनसूर और एहयाउल उलूम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहो तआला अन्हो से बयान किया गया है कि नजदीक का पड़ोसी वह है जिससे रिश्ता नाता हो और दूर का पड़ोसी वह है जिससे रिश्ता नाता न हो।

एक दिन अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा की सभा में तीन बार क़सम खा कर कहा अल्लाह की क़सम वह मुसलमान नहीं, अल्लाह की क़सम वह मुसलमान नहीं सहाबा रज़ियल्लहो तआला अन्हुम ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल वह कौन है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस का पड़ोसी उसकी शरारत से सुरक्षित न हो। (मुसनद अहमद)

एक अन्य रिवायत में है कि वह शख्स स्वर्ग में नहीं जायेगा जिसका पड़ोंसी उसकी शरारत (चंचलता और चपलता) से सुरक्षित न हो।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत आइशा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में इतनी ताकीद करते थे कि मुझे उनकी ताकीद से यह गुमान हुआ कि पड़ोसी को भी वरासत में हिस्सा मिलेगा। (मिश्कातुल मसाबीह)

जानवरों के साथ नर्मी का बर्ताव

डा० अब्दुत्तौवाब

हज़रत अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार एक आदमी एक रास्ते पर चल रहा था उसे सख्त प्यास लगी उसे एक कुवां मिला जिस में उतर कर पानी पिया जब कुंवें से निकला तो अचानक एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से हांप रहा था और कीचड़ चाट रहा था उस शख्स ने कहा इस कुत्ते को भी इसी प्रकार प्यास लगी होगी जिस प्रकार मुझे लगी थी इसलिये वह दोबारा कुवें में उतरा और अपने मोजे को पानी से भरा, फिर उसे अपने मुंह से पकड़ कर कुवें से निकल कर ऊपर आ गया और कुत्ते को पानी पिलाया अल्लाह तआला ने उसे इस काम का बदला दे कर उसे बख्श दिया लोगों ने कहाः ऐ ईश्दूत क्या हमारे लिये इन जानवरों में भी सवाब है तो आप स०अ०व० ने फ़रमायाः हर नम जिगर (जानदार) में पुण्य है। (सहीह मुस्लिम २२४४)

इस हदीस में समझने की बात यह है कि उस शख्स ने एक ऐसे जानवर को पानी पिलाया था जो उसके स्वामित्व (मिलकियत) में नहीं था न ही वह इस कुत्ते का जिम्मेदार और संरक्षक था, इस जानवर से उसका कुछ भी लेना देना नहीं था लेकिन जब उसने एक अजनबी नामालूम कुत्ते पर दया किया तो अल्लाह तआला ने भी उसके दया का बदला मग्फिरत (क्षमादान) के तौर पर दिया। अर्थात अल्लाह ने कुत्ते को पानी पिलाने वाले को बख्श दिया।

हज़रत अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक कुत्ता कुवें के पास चक्कर लगा रहा था और सख्त प्यास की वजह से मरने के करीब था कि अचानक बनी इस्राईल की एक फाहिशा औरत की इस कुत्ते पर निगाह पड़ी इसने अपना मोज़ा निकाला और उसके लिये पानी निकाला उसे पिलाया, ऐसा करने पर इस औरत को बख्श (क्षमादान) कर दिया गया। (सहीह मुस्लिम २२४५)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह अपने पिता अब्दुर्रहमान बिन मस्ऊद रजिअल्लाहो तआला से बयान करते हैं वह कहते हैं कि हम ईश्दूत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। आप कजाए हाजत (मानवीय आवश्यकता) पूरा करने के लिये चले गये, इसी दौरान हमने एक चिड़िया देखी जिसके साथ दो बच्चे भी थे हमने उसके दोनों बच्चे पकड़ लिये, इतने में चिड़िया आयी और दोनों बच्चों के आस पास मंडलाने लगी जब ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम वापस आये तो पूछा कि किस ने इसे इसके बच्चों से

अलग किया है। इस चिड़िया के बच्चों को छोड़ दो।

इस मौके पर जब ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमने चूँटियों के सूराख को जला दिया है तो ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसे किसने जलाया है ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी के लिये वैध ा नहीं कि वह आग से अज़ाब दे। (अबू दाऊद २६७५) जानवरों के अन्दर भी एहसास का माददा मौजूद होता है वह भी अपने बच्चों के अलग होने पर दुखी होते हैं तफरीह के तौर पर जानवरों का शिकार करना इस्लाम में निषेध है। अगर शिकार का मकसद यह हो कि उन्हें मार कर जंगलों में फैंक दिया जाये तो इस्लाम इसकी कदापि इजाजत नहीं देता।

हज़रत अम्र बिन आस रजिअल्लाहो अन्हो जुमा के संबोधन में फौजियों को संबोधित करके कहते थे कि वह अपने घोड़ों को खिला पिला कर मोटा ताज़ा रखें और कहते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी पगार में काटौती कर ली जायेगी।

आप कहा करते थे कि मैं यह सहन नहीं कर सकता कि एक आदमी स्वंय तो मोटा ताजा होकर आये और उसका घोड़ा दुबला पतला हो जिस शख्स ने अपने घोड़े को बिना किसी कारण के कमजोर रखा तो उसकी पगार काट ली जायेगी।

हज़रत सईद बिन जुबैर रजिअल्लाहो तआला अन्हो कहते हैं कि मैं इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो के पास था वह कुछ नौजवानों या कुछ लोगों के पास से गुजरे जो एक मुर्गी को बांध कर उस पर तीर से निशाना लगा रहे थे जब उन्होंने इब्ने उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो को देखा तो वहाँ से भाग खड़े हुये। इब्ने उमर रजिअल्लाहो अन्हुमा ने कहा यह हर्कत किस ने की है? ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वालों पर लानत भेजी है। (सहीह बुखारी ५५१५)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अज़ाब हुआ जिसे उसने इतनी मुददत तक बांध रखा था कि वह भूख से मर गयी और वह औरत इसी कारण नरक में चली गयी। ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह ने उस औरत से कहा था जिस वक़्त तूने उसे बांध रखा था उस वक्त न तो तूने उसे खिलाया और न ही पिलाया और न ही उस बिल्ली को छोड़ा कि वह ज़मीन के कीड़े मकूड़े खा लेती (बुखारी २३६५)

हज़रत जाबिर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जानवर के मुँह पर मारने और मुंह पर निशान लगाने से मना किया है। (मुस्लिम २११६)

हज़रत जाबिर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास से एक गध ा मुजरा जिसके मुंह पर दागा गया

था ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने इसके मुंह पर दागा है उस पर अल्लाह की लानत हो। अब्दुल्लाह बिन जाफर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम एक अंसारी व्यक्ति के बाग में दाखिल हुये वहाँ पर एक ऊँट था वह ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को देख कर बिलबिलाया और उसकी आँखों से आँसू बह पड़े ईश्दूत इस ऊंट के पास आये और उसकी कौहान और कान के पीछे हिस्से पर हाथ फेरा तो उसे सुकून मिल गया। ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस ऊँट का मालिक कौन है? यह ऊँट किस का है? एक अंसारी नौजवान ने आ कर कहा मेरा है। ईश्दूत हज़रत मुहम्मद ने फरमायाः क्या तू इस जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरता जिसका अल्लाह ने तुझे स्वामी बनाया है? इसलिये कि इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तू इसे भूखा रखता है और थकाता है। (अबू दाऊद २५४६)

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

गाँव महल्ला में सुबह शाम पढ़ाने के लिये मकातिब क़ाइम कीजिए मकातिब में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का आयोजन कीजिये

हज़रात! पवित्र कुरआन इन्सानों और जिन्नों के नाम अल्लाह का अंतिम सन्देश है जो आखिरी नबी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ जो मार्गदर्शन का स्रोत, इबरत व उपदेश का माध्यम, दीन व शरीअत और तौहीद व रिसालत का प्रथम स्रोत है जिस का अक्षर-अक्षर ज्ञान और हिक्मत व उपदेश के मोतियों से परिपूर्ण है जिस का सीखना सिखाना, और तिलावत सवाब का काम और जिस पर अमल सफलता और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब और ज़मानत है और कौमों की इज़्ज़त व जिल्लत और उत्थान एवं पतन इसी से सशर्त है। यही वजह है कि मुसलमानों ने शुरूआत से ही इसकी तिलावत व क़िरत और इस पर अमल का विशेष एहतमाम किया। हिफ्ज व तजवीद और कुरआन की तफसीर के मकातिब व मदारिस काइम किए और समाज में इस की तालीम व पैरवी को विशेष रूप से रिवाज दिया जिस का परिणाम यह है कि वह कुरआन की बरकत से हर मैदान में ऊंचाइयों तक पहुंचे लेकिन बाद के दौर में यह उज्जवल रिवायत दिन बदिन कमजोर पड़ती गई स्वयं उप महाद्वीप में कुरआन की तालीम व तफसीर तो दूर की बात तजवीद व किरात का अर्से तक पूर्ण और मजबूत प्रबन्ध न हो सका और न इस पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि कुरआन सीखने, सिखाने, कुरआन की तफसीर और उसमें गौर व फिक्र के साथ साथ तजवीद भी एक अहम उददेश था और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस की बड़ी ताकीद भी फरमाई थी।

शुक्र का मकाम है कि चन्द दशकों पहले मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द सहित विभिन्न पहलुओं से शिक्षा जागरूकता अभियान के पिरणाम स्वरूप, मदर्सों, जामिआत, और मकातिब व मसाजिद में पवित्र कुरआन की तजवीद का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ था जिस के देश व्यापी स्तर पर अच्छे परिणाम सामने आए। पूरे देश में मकातिब बड़े स्तर पर स्थापित हुए और बहुत सी बस्तियों में मकतब की तालीम के प्रभाव से बच्चों का मानसिक रूप से विकास होने लगा लेकिन रोज़ बरोज़ बदलते हालात के दृष्टिगत आधुनिक पाठशालाओं, कन्वेन्ट्स और गांव में मदारिस की वजह से मकातिब बहुत प्रभावित हुए इस लिये मकातिब को बड़े और अच्छे स्तर पर विकसित करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी को दीन की बुनियादी बातों और पवित्र कुरआन से अवगत कराया जा सके।

इसलिये आप हज़रात से दर्दमन्दाना अपील है कि इस संबन्ध ा में विशेष ध्यान दें और अपने गांव महल्लों में सुबह व शाम पढ़ाने के लिये मकातिब की स्थापना को सुनिश्चित बनाएं। अगर काइम है तो उनकी सक्रियता में बेहतरी लाएं, प्राचीन व्यवस्था को अपडेट करें, इन में तजवीद और कुरआन की शिक्षा का विशेष आयोजन करें ताकि जमाअत व मिल्लत की नई पीढ़ी को दीन व चरित्र से सुसज्जित करें और उन्हें दीन व अकीदे पर काइम रख सकें।

अल्लाह तआला हम सब को एक होकर दीन जमाअत व जमीअत और मुल्क व मिल्लत की निस्वार्थता सेवा करने की क्षमता दे, हर तरह के फितने और आजमाइश से सुरक्षित रखे और वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा करे। आमीन

अपील कर्ता

असगर अली इमाम महदी सलफी

अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द एवं अन्य जिम्मेदारान

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

AUGUST 2024
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पता:-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

Total Pages 28